न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2018/ 1897 दिनांक – 15·10·2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 हनुमानराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी चंदाणियों की ढाणी (बांदरा) तहसील व जिला बाडमेर।		1 नारणाराम 2 अनाराम 3 रामलाल पिसरान भुराराम 4 राणाराम पुत्र भीखाराम 5 राणमल 6 भोमराज पिसरान कलाराम 7 पदमी पत्नी कलाराम 8 सगराम पुत्र सदाराम 9 चेतनकुमार 10 मोहनलाल पिसरान रावताराम 11 मगाराम 12 रेखाराम 13 हीराराम पिसरान जोधाराम जाति जाट 14 जेतमालसिंह पुत्र विरधसिंह निवासी चंदाणियो की ढाणी बांदरा तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :–867/2018 दिनांक–12.10.2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा चंदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बांदरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 797/471 रकबा 13.12 बीघा, खसरा संख्या 607/471 रकबा 27.04 बीघा कुल रकबा 40.16 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक– 15·10·2018

क्रमांक :– रीडर/2018/ 1898 – 1901

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बांदरा तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हनुमानराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी चंदाणियों की ढाणी (बांदरा) तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी नारणाराम पुत्र भूराराम वगैराह जाति जाट निवासी चंदाणियों की ढाणी (बांदरा) तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner